

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत खीमाखेडा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत खीमाखेडा

प्रकरण सं.- 39/2013 प्रा.प्र.

निर्णय दिनांक- 02 जुलाई, 2015

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता जालमसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम
2. श्री उदयसिंह पिता जालमसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम

प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रेमसिंह पिता हजारीसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम
2. श्री देवीसिंह पिता कानसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम
3. श्री कालुसिंह पिता कानसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम
4. श्री कुपसिंह पिता खीमसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम
5. श्री चुनसिंह पिता उदयसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम
6. श्री देवीसिंह पिता केशरसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम
7. श्री किशनसिंह पिता टेकसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
वास्ते कराये जाने पक्की पत्थरगढी**

यह कि ग्राम भीम पटवार हल्का भीम तहसील भीम में निम्न विवरण वाली आराजी कृषि भूमि आई हुई है:-

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
678	4014	00	13	00	बझड
	4016	00	09	00	बारानी 1
	4017	06	18	00	बझड
कुल किता 03 रकबा 08 बीघा					

उक्त भूमि के पडौस निम्न प्रकार है:-

पूर्व में:- प्रेमसिंह व अन्य का खेत

पश्चिम में :- पडत


उत्तर में:- पडत

दक्षिण :- कुपसिंह व अन्य का खेत

मौके पर विपक्षी को अपनी जमीन की सीमा चिन्ह की जानकारी न होने की वजह से आये दिन पाली डोली को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है तथा कई बार झगडा भी हो गया है। एवं अप्रार्थीगणों का भी अपनी भूमि की सही सीमा जानकारी नहीं होने से वह हमारे क्षेत्राधिकार की भूमि में घुस रहे तथा हमने मना किया तो मान नहीं रहे है और कहते है कि हम तो हमारी इच्छा होगी वहा पर चार दिवारी या मेडवन्दी करेंगे। इस प्रकार से हम प्रार्थीगण वारिश के मौसम मे हमेशा परेशान होते है एवं उक्त भूमि की पाल डोल लगाकर उन्नत एवं विकसित करना चाहते है। परन्तु सही सीमा नहीं होने से हर समय विवाद होता रहता है।

खाता संख्या 678 के आराजी संख्या 4014, 4016, 4017 की कृषि भूमि कुल किता 3 रकबा 8 बीघा जो कि राजस्व रिकार्ड की जमावन्दी मे दर्ज है जिसकी मौके पर सीमा जानकारी करवाकर पक्की पत्थरगढी कराये जाने के आदेश फरमावे।

अतः वादी का वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प भीम में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों को वाद समझाईश आपसी राजीनामे से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित आराजियात का दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


 सहायक न्यायाधीश
 उपखण्ड अधिकारी
 जिला - राजसमन्द